आरई–अज–116

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर

'राजस्थान सरकार का उपक्रम'

क्रः अविविनिलि / प्र.नि. / अ.अ. (योजना) / प्रे. Sp - 2 दिनांक : 13/12/2005

आदेश

विषय :– कृषि कनेक्शन के स्थानान्तरण के संबंध में।

राजकीय उपक्रम समिति की दिनांक 26.10.2005 को आयोजित बैठक में माननीय सभापति महोदय ने कृषि कनेक्शन के स्थानान्तरण में लागू कृषि नीति की विसंगति के बारे में उल्लेख किया था।

उक्त मामले में यह पाया गया है कि कृषि कनेक्शन का स्थान परिवर्तन यदि उसी खसरा / खेत परिसर / मुरब्बा में किया जाता है और स्थान का परिवर्तन 10 मीटर से अधिक दूरी पर होता है तो उसे चोरी का मामला न मानकर अतिरिक्त एल.टी. लाईन की कीमत रू. 100/– प्रति मीटर व लाईन में लगने वाले पोल के लिए रू. 2000/– प्रति पोल लेने का प्रावधान है।

इसी प्रकार कृषि कनेक्शन होने के बाद यदि उसी पंचायत समिति के किसी भी विद्युतीकृत गांव में स्थानान्तरित किया जाता है तो उपभोक्ताओं से एक मुश्त राशि रू. 1500/– प्रति एच.पी. 10 एच.पी. तक तथा उसके बाद रू. 750/– प्रति एच.पी. की दर से देय है।

यह भी पाया गया है कि चालू कनेक्शन का स्थान परिवर्तन उसी खसरा / खेत परिसर / मुरब्बे में दूसरे कुएं में करने की दशा में उपभोक्ता द्वारा देय चार्जेज कनेक्शन होने के बाद अन्य किसी विद्युतीकृत गांव में स्थान परिवर्तन पर देय चार्जेज से काफी अधिक हैं।

इस विसंगति को दूर करने के लिय विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि कृषि कनेक्शन नीति 2004 के क्लॉज 22(ii) के अन्तर्गत चालू कृषि कनेक्शन उसी खसरा / खेत परिसर / मुरब्बा में स्थान परिवर्तन होने की दशा में दो प्रकार से तकमीना बनाये जाऐ। पहला तकमीना क्लॉज 22 (ii) के अनुसार रू. 100/– प्रति मीटर अतिरिक्त लाईन खर्च, रू. 2000/– प्रति पोल के हिसाब से बनाया जाये तथा दूसरा तकमीना क्लॉज 22 (iii)ज के अनुसार रू. 1500/– प्रति एच.पी. 10 एच.पी. तक तथा इसके बाद रू. 750/–

प्रति एच.पी. की दर से बनाया जाये। कनेक्शन स्थानान्तरित करवाने वाले उपभोक्ता से दोनो तकमीनाओं मे से कम राशि वाले तकमीना की राशि वसूल की जाये।

उपरोक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

(दिनेश कुमार) 13/12
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. ऊर्जा सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. सलाहकार (मानिटरिंग), माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रबंन्ध निदेशक जयपुर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर/जोधपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (पवस/वाणिज्य), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
5. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (उ.स./झु.स.) अ.वि.वि.नि.लि., उदयपुर/झुंझुनु।
6. वित्तीय सलाहकार एवं लेखानियन्त्रक, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
7. मुख्य लेखाधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
8. सचिव (प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
9. अधीक्षण अभियन्ता ( ), अ.वि.वि.नि.लि., ---------------।
10. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
11. प्रावेधिक–सहायक, अध्यक्ष, अजमेर डिस्कॉम, विद्युत भवन, जयपुर।
12. कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
13. वरिष्ठ लेखाधिकारी (राजस्व/आ. अंकेक्षण), अ.वि.वि.नि.लि., -------------।
14. उपसचिव (प्रशा.एवं का.), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
15. अधिशाषी अभियंता (प.व.सं./) अ.वि.वि.नि.लि.,-------------।
16. जन सम्पर्क अधिकारी, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
17. निजी सचिव–माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा मंत्री के सूचनार्थ।
18. निजी–सहायक, अध्यक्ष, अजमेर डिस्कॉम, जयपुर।
19. सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)